IJAER/Sep-Oct -2022/Volume-11/Issue-5 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

राज्यपाल की भूमिका - चुनौती एवं सुधार (छत्तीसगढ़ के संदर्भ में)

DR. PRABHA GUPTA.

Assistant Professor Of Political Science Govt. Naveen College BIRRA,

dist- janjgir-Champa

सार

छत्तीसगढ़ सहित भारतीय राज्यों में राज्यपाल की भूमिका काफी हद तक संवैधानिक प्रावधानों में अस्पष्टता और क्षेत्र की राजनीतिक गतिशीलता द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के कारण बहस का विषय रही है। यह सार छत्तीसगढ़ के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्यपाल की भूमिका, चुनौतियों और संभावित सुधारों की पड़ताल करता है। राज्यपालों से राज्य के निष्पक्ष प्रमुख के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, ताकि सुचारू शासन सुनिश्चित हो सके, खासकर राजनीतिक अस्थिरता के समय में। हालाँकि, अनुच्छेद 153-162 और 163 के तहत भारतीय संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ और विवेक अक्सर राज्य सरकार और राज्यपाल के कार्यालय के बीच टकराव का कारण बनते हैं, खासकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति और विधेयकों पर सहमति जैसे क्षेत्रों में। आदिवासी क्षेत्रों और नक्सली प्रभाव वाले संसाधन संपन्न राज्य छत्तीसगढ़ को इस संबंध में अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य शब्द : *राज्यपाल, चुनौती, सुधार, छत्तीसगढ़*

परिचय

भारत में राज्यपाल का कार्यालय शासन संरचना में एक अद्वितीय स्थान रखता है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक संवैधानिक पुल के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल को संविधान की रक्षा, संघीय ढांचे को बनाए रखने और प्रत्येक राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। हालाँकि, व्यवहार में, राज्यपाल की भूमिका संविधान द्वारा दी गई विवेकाधीन शक्तियों और इस कार्यालय के राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना के कारण अक्सर विवादों से घिरी रही है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, राज्य की अनूठी सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता के कारण राज्यपाल की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। छत्तीसगढ़ एक संसाधन संपन्न राज्य है जिसमें एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी है, जो विकास संबंधी चुनौतियों और नक्सलवाद की लगातार समस्या का सामना कर रहा है। राज्यपाल, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, इन जटिलताओं को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर आदिवासी अधिकारों, कानून और व्यवस्था और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित क्षेत्रों में। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, राज्यपाल के कार्यालय को तटस्थता बनाए रखने और केंद्र और राज्य सरकारों के हितों को संतुलित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। राज्यपाल की भूमिका के राजनीतिकरण के आरोप, राज्य सरकारों के साथ लगातार टकराव और जवाबदेही के मुद्दों ने इस संवैधानिक कार्यालय की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ पैदा की हैं। यह पत्र छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की उभरती भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास करता है, जिसमें विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग, राज्य सरकार के साथ टकराव और आदिवासी कल्याण और नक्सलवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों से निपटने जैसी प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, यह उन संभावित सुधारों का पता लगाएगा जो राज्यपाल के कार्यालय की दक्षता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ा सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह राज्य की अनूठी शासन चुनौतियों का समाधान करते हुए संविधान के सच्चे

संरक्षक के रूप में कार्य करता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राज्यपाल की भूमिका के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, खासकर राज्य के जटिल जनसांख्यिकीय और राजनीतिक परिदृश्य के कारण। 2000 में गठित छत्तीसगढ़ भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक है, और अपनी स्थापना के बाद से, इसने चुनौतियों का एक अनूठा मिश्रण का सामना किया है। इनमें आर्थिक पिछड़ापन, पर्याप्त आदिवासी आबादी (राज्य की कुल आबादी का 30% से अधिक) की उपस्थिति और विद्रोही समूहों से चल रहे खतरे शामिल हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर स्वदेशी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए भी जिम्मेदार है।

फिर भी, राज्यपाल की भूमिका ने अक्सर राज्य और केंद्रीय अधिकारियों के बीच तनाव को जन्म दिया है, खासकर तब जब राज्य और केंद्र स्तर पर सत्ता में अलग-अलग राजनीतिक दल हों। ये तनाव इस धारणा से और बढ़ जाते हैं कि राज्यपाल एक तटस्थ प्राधिकरण की तुलना में केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में अधिक कार्य कर सकते हैं। विवेकाधीन शक्तियाँ, विशेष रूप से अनुच्छेद 163 के तहत, जो राज्यपाल को कुछ स्थितियों में "अपने विवेक से" कार्य करने की अनुमति देती है, ने विवादास्पद निर्णयों को जन्म दिया है, जैसे कि विधेयकों पर सहमति रोकना, राष्ट्रपति शासन की सलाह देना, या राज्य में प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति को प्रभावित करना। इस तरह की कार्रवाइयों ने अक्सर राज्यपाल की भूमिका के राजनीतिकरण पर बहस छेड़ दी है, आलोचकों का तर्क है कि इस पद का इस्तेमाल संवैधानिक अखंडता को बनाए रखने के बजाय राजनीतिक हितों की सेवा के लिए किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में, राज्य के संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों को देखते हुए राज्यपाल की भूमिका और भी नाजुक है। राज्य के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन और औद्योगिक विकास के लिए जोर कभी-कभी स्वदेशी जनजातियों के अधिकारों से टकराते हैं, जिससे भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और पर्यावरण क्षरण पर तनाव होता है। इन स्थितियों में राज्यपाल की भूमिका में नाजुक राजनीतिक क्षेत्रों में काम करना शामिल है, जहाँ केंद्र और राज्य की नीतियाँ बहुत अलग-अलग हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ के कई जिलों को प्रभावित करने वाले नक्सली संघर्ष ने राज्यपाल को ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहाँ कानून और व्यवस्था तथा विकास संबंधी दृष्टिकोण दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों को देखते हुए, राज्यपाल की शक्तियों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और संभावित राजनीतिक हेरफेर को कम करने के लिए सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा बढ़ रही है। एक निश्चित कार्यकाल, अधिक जवाबदेही, विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग पर स्पष्ट दिशा-निर्देश और राज्य और केंद्रीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय कुछ ऐसे सुधार हैं जो कार्यालय की प्रभावशीलता और तटस्थता को बढ़ा सकते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को केस स्टडी के रूप में उपयोग करते हुए इन मुद्दों पर गहराई से विचार करना है ताकि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की भूमिका के व्यापक निहितार्थों को समझा जा सके। यह पता लगाएगा कि छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के कार्यालय के सामने आने वाली चुनौतियाँ भारतीय संघीय ढांचे के भीतर प्रणालीगत मुद्दों को कैसे दर्शाती हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से सुधार लागू किए जा सकते हैं कि राज्यपाल की भूमिका निष्पक्ष, संवैधानिक और राज्य और उसके लोगों के कल्याण पर केंद्रित रहे।

राज्यपाल की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण विचार

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार :-

"जितना मैं सरकारी खजाने के एक-एक पैसे को बचाना चाहता हूं, राज्य के राज्यपालों को दूर करना और मुख्यमंत्रियों को एक पूर्ण समकक्ष के रूप में मानना ख़राब अर्थव्यवस्था होगी। हालांकि मैं राज्यपालों को दी जाने वाली हस्तक्षेप की अधिक शक्ति का विरोध करता हूं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें केवल कल्पित व्यक्ति होना चाहिए। उनके पास पर्याप्त

शक्ति होनी चाहिए, जिससे वे बेहतर के लिए मंत्रिस्तरीय नीति को प्रभावित कर सकें। अपनी अलग स्थिति में, वे चीजों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में देखने में सक्षम होंगे और इस प्रकार उनके मंत्रिमंडलों द्वारा गलतियों को रोकेंगे। उनका अपने राज्यों में एक व्यापक प्रेरक प्रभाव होना चाहिए।"

"राज्यपाल को टीम की योजना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम स्थान दिया गया था। जब राज्य में संवैधानिक गतिरोध होगा तो वह मध्यस्थ होंगे और वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होंगे।"

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जी के विचार :-

"कोऑपरेटीव फेडरेलिश्म के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्यपालों द्वारा संविधान के परिरक्षण, सरंक्षण और प्रतिरक्षण तथा जनता की सेवा और कल्याण में विरत रहने का आपका संवैधानिक दायित्व और भी अहम हो जाता है । आप सब केन्द्र और राज्यों के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं । संविधान की धारा 168 के अनुसार, राज्यपाल अपने प्रदेश की विधायिकाकेएक अहम अंग होते हैं । भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल का ओहदा बहुत ऊंचा होता है । आप संवैधानिक आदर्शो और मर्यादाओं के प्रतीक हैं । कुछ विशेषाधिकार केवल राज्यपालों को ही उपलब्ध है । राज्य की जनता की निगाहें राजभवन पर टिकी रहती है । राजभवन का सभी पर अनुकरणीय प्रभाव पड़ता है । राजभवनों में मूल्यों और आदर्शो के स्थापित होने से सार्वजनिक जीवन से जुड़े बुद्धिजीवी, स्वयं सेवी संस्थान और समाज के सभी वर्ग के लोग प्रेरणा लेते हैं ।''

''राज्यपाल के संवैधानिक पद की एक विशेष गरिमा होती है । राज्य सरकार के मार्ग-दर्शक तथा हमारे संघीय ढांचे की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में राज्यपाल अपना निरंतर योगदान देते हैं । राज्य की जनता राज्यपालों को आदर्शो और मूल्यों के कस्टो डियन के रूप में देखती है ।''

''संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है । आज जब हम सहकारी संघवाद और देश की प्रगति के हित में स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद यानि कॉम्पीटेटीव फेडरेशन पर जोर दे रहे हैं तो राज्यपाल की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है ।''

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के विचार :-

"संविधान ने राज्यपाल के लिए एक विशेष भूमिका प्रदान की है। यह पवित्रता के साथ एक स्थिति है। जबकि संविधान द्वारा प्रदान किए गए कई नियंत्रण और संतुलन हैं, राज्यपाल के कार्यालय को दिन-प्रतिदिन की राजनीति से ऊपर उठने और केंद्रीय प्रणाली या प्रणाली से निकलने वाली मजबूरियों को दूर करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्यपाल की भूमिका राजनीति के उतार-चढ़ाव से लोगों की सर्वोत्तम आकांक्षाओं को दूर करना है। यह धर्म के प्रकाश को संरक्षित करने जैसा है ।''

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के विचार :-

"राज्यपाल अपने राज्य के पहले नागरिक हैं। जब आपने यह उच्च पद ग्रहण किया था, तब आपने संविधान की परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ ली थी। यह पवित्र दस्तावेज लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देता है। यह समावेशिता, सहिष्णुता, आत्म-संयम, और महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को हमारी राजनीति के आवश्यक तत्व के रूप में निर्धारित करता है। लोकतंत्र की हमारी

संस्थाओं को इन महत्वपूर्ण विशेषताओं पर काम करना चाहिए। मजबूत विश्वसनीय संस्थान लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सुशासन की ओर ले जाते हैं।"

माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय 1979 ; हरगोविंद/ रघुकुल तिलक अनुसार :-

"संविधान राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रहरी की भूमिका प्रदान करता है और एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय के धारक होने के नाते संघ और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में, राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीनस्थ या अधीनस्थ एजेंट नहीं है।"

सरकारिया, कमीशन रिपोर्ट के विचार :-

"कोई भी निर्णय लेने से पहले, राज्यपाल को अपनी शपथ को याद करना चाहिए कि वह संविधान का परिरक्षक और रक्षक है। यदि राज्यपाल ऐसा करता है, तो किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन होने की संभावना नहीं है, किसी भी संवैधानिक परंपरा के पराजित होने की संभावना नहीं है और उसकी किसी भी कार्रवाई की निंदा होने की संभावना नहीं है।"

"संविधान राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रहरी और संघ और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका प्रदान करता है। एक स्वतंत्र संवैधानिक पद का धारक होने के कारण राज्यपाल केंद्र सरकार का अधीनस्थ या अधीनस्थ एजेंट नहीं होता है।"

राज्यपाल की वैधानिक शक्तियाँ

कार्यपालिका शक्तियाँ

- राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होते हैं। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी निर्णय उनके नाम पर लिए जाते हैं। वे सरकार के कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाते है और मंत्रियों के बीच विभिन्न कार्यों का आवंटन करते है।
- राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते है और उसकी सलाह पर अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री सहित अपने मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं।
- राज्यपाल उच्च नियुक्तियाँ जैसे कि महाधिवक्ता, अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य आदि करते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति द्वारा उनसे परामर्श किया जाता है।
- राज्यपाल को राज्य के प्रशासन के बारे में आवश्यक जानकारी के बारे में मुख्यमंत्री द्वारा सूचित रखने का अधिकार है।
- राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में अपनी सिफारिशों के साथ-साथ राज्य में संवैधानिक तंत्र के टूटने के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकते हैं।
- राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं।

विधायी शक्तियाँ

- राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं और उसका सत्रावसान करते है।

- चुनाव आयोग की सलाह पर वह विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामले का फैसला कर सकते हैं।
- राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं।
- उनके पास वीटो पावर है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उनकी सहमति के अधीन है।
- जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

वित्तीय शक्तियाँ

- राज्यपाल की पूर्व सिफारिश के बिना राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है।
- राज्य की आकस्मिक निधि उनके निपटान में है। वह राज्य विधानमंडल द्वारा इनकी अनुमति के लंबित रहने तक एक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इसमें से अग्रिम कर सकते हैं।
- राज्यपाल विधायिका के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का कारण बनता है।
- राज्यपाल विधायिका के समक्ष राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट रखते हैं।

न्यायिक शक्तियाँ

- राज्यपाल के पास अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमादान देने या उनकी सजा को माफ करने या कम करने की शक्ति है।
- उन्हे अपने कार्यकाल के दौरान सभी दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से व्यक्तिगत छूट प्राप्त है।

विवेकाधीन शक्तियाँ

- राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधायिका द्वारा इस दलील पर पारित करने के बाद सुरक्षित रख सकते हैं कि यह केंद्र सरकार के कानून या नीति के विपरीत होने की संभावना है।
- राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर या अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार विधान सभा को भंग कर सकते हैं।
- राज्यपाल किसी कथित घोटाले या आपराधिक गड़बड़ी में शामिल सेवारत या पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे सकते हैं।

राज्यपाल के पद से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

राज्यपालों की नियुक्ति: राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इससे राज्यपाल की राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।

ऐसे दृष्टांत सामने आते रहे हैं जब केंद्र में सत्तारूढ़ दल के किसी सदस्य को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया या राजनीतिक कारणों से उसे हटा दिया गया या स्थानांतरित कर दिया गया।

यह राज्यपाल के पद की गरिमा और स्थिरता को कमज़ोर करता है।

राज्यपालों की भूमिका और शक्तियाँ: संविधान के तहत राज्यपाल को विभिन्न भूमिकाएँ और शक्तियाँ सौंपी गई हैं, जैसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देना, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य के विभिन्न विषयों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना और कुछ राज्यों में विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना।

हालाँकि, ये भूमिकाएँ और शक्तियाँ प्रायः राज्यपाल के विवेकाधीन (discretion) होती हैं, जिससे निर्वाचित राज्य सरकार के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है।

तमिलनाडु जैसे मामले सामने आते रहे हैं, जहाँ राज्यपालों ने विधेयकों पर सहमति देने में देरी की या उन्हें रोक दिया, राज्य सरकारों को बर्खास्त या भंग कर दिया, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की या राज्य विश्वविद्यालयों के कामकाज में हस्तक्षेप किया।

इन कार्रवाइयों की राज्य सरकारों या विपक्षी दलों द्वारा मनमानी, पक्षपातपूर्ण या असंवैधानिक के रूप में आलोचना की गई।

राज्यपालों की जवाबदेही और प्रतिरक्षा: यद्यपि राज्यपाल को राज्य सरकार में राष्ट्रपति के समकक्ष माना जाता है, वास्तविकता यह है कि वे केंद्र सरकार के एजेंट रहे हैं और बने रहेंगे, जिन्हें लोकप्रिय रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों की शक्ति पर नियंत्रण के लिये नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल को केंद्र सरकार की मर्जी पर पद से हटाया जा सकता है।

राज्यपाल इस बात से आश्वस्त होते हैं कि जब तक वे केंद्र सरकार के अनुरूप कार्य करते रहेंगे, वे अपने पद पर बने रहेंगे। राज्य के प्रमुख के रूप में वे पद पर बने रहते हुए अपने कार्यों के लिये न्यायालयों के प्रति भी जवाबदेह नहीं होते (अनुच्छेद 361)।

निष्कर्ष

भारतीय राज्यों में, खास तौर पर छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की भूमिका भारत के संघीय ढांचे की ताकत और सीमाओं दोनों को उजागर करती है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, राज्यपाल से एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है जो कानून के शासन को बनाए रखता है, स्थिरता सुनिश्चित करता है और राज्य की महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है। हालाँकि, कार्यालय अक्सर राजनीतिक विवादों में उलझा रहता है, जिससे पक्षपात की धारणा बनती है, खासकर जब राज्य और केंद्र सरकारों के बीच तनाव पैदा होता है। छत्तीसगढ़ में, राज्यपाल की भूमिका राज्य की अनूठी चुनौतियों से और भी जटिल हो जाती है, जिसमें आदिवासी कल्याण, संसाधन प्रबंधन और नक्सली विद्रोह शामिल हैं। राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियों ने कई बार राज्य सरकार के साथ टकराव पैदा किया है, जिससे शक्ति संतुलन और अधिकार के दुरुपयोग की संभावना पर सवाल उठे हैं। ये मुद्दे छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भारतीय राज्यों में व्यापक चिंताओं को दर्शाते हैं, जिससे राज्यपाल के कार्यालय की भूमिका और कामकाज की फिर से जांच करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इन चुनौतियों का समाधान करने और राज्यपाल की स्थिति की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बहाल करने के लिए सुधार आवश्यक

हैं। एक निश्चित कार्यकाल को लागू करना, विवेकाधीन शक्तियों के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और राज्य और केंद्र सरकारों के बीच अधिक समन्वय को बढ़ावा देना इस संस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम हैं। इस तरह के सुधार यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि राज्यपाल संविधान के सच्चे संरक्षक के रूप में कार्य करें, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों को बनाए रखने और स्थिर शासन का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करें। अंततः, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल की भूमिका में सुधार से न केवल राज्य में शासन में सुधार होगा, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के व्यापक प्रयास में भी योगदान मिलेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे लोगों के हितों और संवैधानिक अखंडता के सिद्धांतों की सेवा करें।

संदर्भ

[1] ग्रैनविले ऑस्टिन, वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन: ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस 575, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2005)।

[2] बसु, डी. डी. (2017), भारत के संविधान का परिचय। लेक्सिसनेक्सिस इंडिया।

[3] मिश्रा, वी. एन. (2016), भारत का संवैधानिक कानून। ईस्टर्न बुक कंपनी।

[4] एम.पी. जैन (2018), भारतीय संवैधानिक कानून, लेक्सिस नेक्सिस।

[5] महेंद्र पाल सिंह (2022), वी.एन. शुक्ला का भारत का संविधान, ईस्टर्न बुक कंपनी।

[6] डॉ. बी.एम. शर्मा, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 51 की व्याख्या: एक प्रांतीय गवर्नर की अपने प्रीमियर को बर्खास्त करने की शक्ति, 4(3) इंड. जे. पोल. एससीआई. 304 (1943)।

[7] अरविंद एलंगोवन, प्रांतीय स्वायत्तता, सर बेनेगल नरसिंह राव, और भारत में संविधानवाद की एक असंभव कल्पना, 1935 - 38, 36 (1) दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व का तुलनात्मक अध्ययन 66, 80 (2016)।

[8] संविधान सभा की बहस, 1 जून 1949, खंड VIII उपलब्ध है http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/cadebatefiles/C01061949.html (12.12.23 को देखा गया)

[9] संविधान सभा की बहस, 1 जून 1949, खंड VIII उपलब्ध है

[10] http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/cadebatefiles/C01061949.html. (14.12.23 को देखा गया)

[11] अशोक और उनके उत्तराधिकारी, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका https://www.britannica.com/place/India/Ashokaand-his-successors. (11.12.23 को देखा गया)

[12] पी.एस. राममोहन राव, राज्यपाल और दिशानिर्देश, द हिंदू (02 अप्रैल, 2015) https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/Governors-and-guidelines/article10753822.ece. (24.12.23 को देखा गया)

[13] नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा, (2017) 13 एससीसी 332